न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद / 48 / 2018

रामेश्वर लाल पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी ग्राम झिलमिल तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
–वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राज॰)

–प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

–:निर्णयः– **दिनांक–24.05.2018**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह कि आराजी खसरा संख्या 280 रकबा 3॰82 हैक्टियर, खसरा संख्या 434 रकबा 3॰02 हैक्टियर कुल किता 2 कुल रकबा 6॰84 हैक्टियर वाकै ग्राम झिलमिल पटवार हल्का कुमास जागीर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर स्थित है। जिसके पुराने खसरा संख्या 141/3 व 210 रहे है। यह कि आराजियात वर्णित वाद पैरा संख्या 1 की खातेदारी पूर्व में वादी के ताऊ पुराराम पुत्र बक्सा के नाम दर्ज थी। यह कि कृषि भूमि खसरा संख्या 141/3 व 210 (पुराना) का खातेदार वादी का सगा ताऊ पुराराम जो अविवाहित था जिसके कोई जायन्दा व दत्तक सन्तान नही थी। पुरा अपने जीवनकाल में वादी के साथ ही रहा। जिसकी वादी ने अच्छी तरह से सेवा सुश्रा की। जिससे प्रश्न होकर वादी के ताऊ पुराराम पुत्र बक्सा ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि वादी को देने की इच्छा अपने परिवार जन व समाज के मौजिज व्यक्तियो के सामने रखी व अपनी उक्त भूमि की मौखिक वसीयत वादी के पक्ष में कर दी। जिसकी परिवार के समस्त सदस्यो को जानकारी थी व स्वीकार थी तथा पुराराम के देहान्त हो जाने पर उसके क्रियाक्रम व अन्य क्रियाक्रम वादी ने ही किये थे लेकिन स्वर्गीय पुराराम की जमीनो की खातेदारी दर्ज करते समय वादी को स्वर्गीय पुराराम का दत्तक पुत्र दर्ज कर दिया। जिससे वादी के हितो पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वादी को अपने पिता की विरासत भी प्राप्त हो चूंकि है तथा राजस्व रिकार्ड में रामेश्वर लाल पुत्र अर्जुनराम दर्ज है। इसलिए राजस्व रिकार्ड के वादी के नाम दर्ज खातेदारी जरिये विरासत न करके जरिये मौखिक वसीयत दर्ज कर वादी का नाम रामेश्वर लाल पुत्र पुराराम के स्थान पर रामेश्वर लाल पुत्र अर्जुन राम दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है।

यह कि आराजियात वर्णित वाद पैरा संख्या 1 की खातेदारी में रामेश्वर लाल पुत्र पुराराम के स्थान पर जरिये मौखिक वसीयत रामेश्वर लाल पुत्र अर्जुनराम दर्ज करवाने के लिए अधिनस्थ तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसका अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा दुरूस्ती करने से इन्कार होने के कारण वाद कारण पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह कि वादी के पिता नाम राजस्व रिकार्ड में भिन्न–भिन्न होने के कारण वादी के हितो पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिसकी रिकार्ड दुरूस्ती वादी के पक्ष में किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है।

यह कि वादी के पूर्वज पुराराम ने अपने जीवनकाल में वादी के सेवा सुश्रा से प्रश्न होकर मौखिक वसीयत कर दी थी इसलिए उक्त भूमिया वादी को जरिये मौखिक वसीयत प्राप्त हुई है। यह कि प्रतिवादी के भूमिधारी होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। यह कि आराजियात माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार में है। यह कि दावा उचित कोर्ट फीस स्टाम्प पर सादर प्रस्तुत है।

यह कि वादी निम्न दादर्शी का प्रार्थी हैः– (क) यह कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री किया जाकर वादी के वर्णित आराजी खसरा संख्या 280 व 434 का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे। (ख) यह कि राजस्व रिकार्ड में रामेश्वर लाल पुत्र पुराराम के स्थान पर रामेश्वर लाल पुत्र अर्जुनराम दर्ज किया जाने के आदेश अधिनस्थ तहसीलदार को दिया जावे। यह कि अन्य दादर्शी जो वादी के पक्ष में फरमायी जावे।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 स्वयं भूमिधारक के रूप में पक्षकार होने से रिपोर्ट दुरूस्ती संबंधी ली गई। रिपोर्ट तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी ने अपने समर्थन में स्वयं का साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया। वादी के समर्थन में बेगाराम पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी ग्राम झिलमिल तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर व बलूड़ी देवी पत्नी श्री भानाराम जाति जाट निवासी ग्राम झिलमिल तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सीकर ने अलग–अलग साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किये। जिसमें वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में उल्लेखित कथनों व अनुतोष आदि की ही पुनरावृत्ति की है। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प काछवा में पेश हुई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अवलोकन किया। पत्रावली पर वादी ने अपने दावे के समर्थन में स्वयं का आधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, राशन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतियां पेश की। जिनमें सभी में वादी रामेश्वर के पिता का नाम अर्जुनराम दर्ज है। साथ ही अपने वाद के पक्ष में ग्राम पंचायत, खींवासर द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र भी पेश किया। जिसमें अर्जुनराम के एकमात्र वारिस वादी अर्जुनराम होना अंकित किया है। पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें पत्रावली में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्य शपथ–पत्र आदि, प्रस्तुत दस्तावेजात व पत्रावली के अवलोकन के बाद वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 280 रकबा 3.82 हैक्टेयर, खसरा संख्या 434 रकबा 3.02 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 6.84 हैक्टेयर, वाकै ग्राम झिलमिल पटवार हल्का कुमास जागीर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में स्थित है। जिसके पुराने खसरा संख्या 141/3 व 210 रहे है। उक्त आराजियात में वादी को काबिज, खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में रामेश्वर लाल पुत्र पुराराम के स्थान पर रामेश्वर लाल पुत्र अर्जुनराम संशोधन कर उद्घोषणा किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– काछवा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस

रामेश्वर लाल   बनाम   तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़

दावा बाबत उद्घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर :– 48/2018   **निर्णय दिनांक– 24.05.2018**

वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.05.2018 को अनिल कुमार, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 280 रकबा 3.82 हैक्टेयर, खसरा संख्या 434 रकबा 3.02 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 6.84 हैक्टेयर, वाकै ग्राम झिलमिल पटवार हल्का कुमास जागीर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में स्थित है। जिसके पुराने खसरा संख्या 141/3 व 210 रहे है। उक्त आराजियात में वादी को काबिज, खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में रामेश्वर लाल पुत्र पुराराम के स्थान पर रामेश्वर लाल पुत्र अर्जुनराम संशोधन कर उद्घोषणा किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे।

यह आज तारीख 24.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– काछवा

मुहर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– काछवा

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official